न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, उन्नाव।

विशेष सत्र परीक्षण संख्याः–36 / 2016

राज्य बनाम नूर आलम आदि

दिनॉकः– 12–7–2022

सत्र परीक्षण संख्या 36 / 2016, धारा 147, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)10 एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट, थाना आसीवन जिला उन्नाव के अन्तर्गत अभियुक्तगण सीमू, मोईद, मुशीर द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वारंट निरस्त किये जाने का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण पूर्व से जमानत पर है। प्रार्थी सीमू की तबियत खराब हो जाने के कारण व प्रार्थीगण मोईद व मुशीर नियत तारीख पेशी की गलतफहमी हो जाने के कारण वह नियत तारीख पेशी में हाजिर नही हो सके है और इस कारण उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो गया। प्रार्थीगण ने जानबूझकर कोई गल्ती नही किया है। वारंट निरस्त किये जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण के केवल एक पेशी में हाजिर न होने के कारण उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी हो गया है। तथ्यो एवं परिस्थितियों को देखते हुए वारंट निरस्त किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण सीमू, मोईद, मुशीर में से प्रत्येक के द्वारा बीस–बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा अण्डरटेंकिंग इस आशय की, कि वह दौरान मुकदमा प्रत्येक नियत तारीख पेशी में हाजिर होते रहेगें तथा बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये जाने तथा साक्ष्य अंकित किये जाने के समय प्रत्येक दशा में हाजिर होगें, दाखिल करने पर उनके विरूद्ध जारी वारंट निरस्त किया जाता है।

(अल्पना शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट)
कोर्ट सं0–2, उन्नाव।